राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

अग्रहायण 7, मंगलवार, शाके 1939–नवम्बर 28, 2017

Agrahayana 7, Tuesday, Saka 1939–November 28, 2017

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 28, 2017

जी.एस.आर. 102 :– राजस्थान के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन.– नियम 10 के विद्यमान उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"**महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**– सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला–अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष–विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह–महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं।

महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह–महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।"

3. नियम 24 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 24 का निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगा :–

"परन्तु यह और कि ऐसे किसी भी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं की जायेगी जो साक्षात्कार में न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है।"

4. नियम 41 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 41 में,–

(i) निम्नलिखित प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा :–

"परन्तु ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं की जायेगी जो साक्षात्कार में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है।"

(ii) द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित शब्द "परन्तु" के पश्चात् और शब्द "किसी" के पूर्व शब्द "यह और कि" हटाये जायेंगे।

5. अनुसूची–VII का संशोधन.– अनुसूची–VII में दी गयी सारणी में प्रविष्टि सं. 3 साक्षात्कार में आयी अभिव्यक्ति "7.5" हटायी जायेगी।

[संख्या एफ. 1(3)डीओपी/ए–II/2010]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क– 2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.II)

NOTIFICATION

Jaipur November 28, 2017

G.S.R. 102 .- In exercise of the powers conferred by Article 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Rajasthan, in consultation with the

Rajasthan Public Service Commission and the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further, to amend the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010, namely:-

1.Short title and commencement .- (1)These rules may be called the Rajasthan Judicial Service (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2.Amendment of rule 10. The existing sub rule (3) of rule 10 shall be substituted by the following :-

"Reservation of vacancies for women:- Reservation of vacancies for women candidates shall be 30 % category wise in the direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved . The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce."

3.Amendment of rule 24.- The following second proviso of rule 24 of the said rules shall be deleted :-

"Provided further that no candidate shall be recommended who fails to obtain minimum 25% marks in the interview."

4.Amendment of rule 41. In rule 41 of the said rules.-

(i) the following first proviso shall be deleted :-

"Provided that no candidate shall be recommended who fails to obtain minimum 25% marks in the interview."

(ii) After the word "Provided" and before the word "that", the word "further" mentioned in second proviso shall be deleted.

5.Amendment of Schedule -VII.- The expression "7.5" appearing in the entry no. 3 Interview in table given in Schedule-VII, shall be deleted.

[No.F.1(3)DOP/A-II/2010]
By Order and in the name of the Governor,
Sunil Sharma,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.